//निर्णय//

(आज दिनांक 07/08/26 को घोषित किया गया।)

01. अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति किये जाने के आधार पर यह साबित हैं कि दिनांक 19/6/26 को समय लगभग 23:29 बजे, आरक्षी केन्द्र एम.जी.रोड जिला इंदौर स्थित, नगर निगम चौराहा इन्दौर लोकमार्ग पर शराब पीकर वाहन कमांक MP-09-XJ-5580 को चलाया। परिणामतः अभियुक्त को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति एवं समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

03. अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्वदोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गयी अपराध स्वीकारोक्ति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 10,000/–रूपये (दस हजार) रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 1 (एक) माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

04. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन उसके विधिक स्वामी को स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने पर लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

Neeraj
07/08/26
नीरज अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर, जिला इंदौर (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित।

Neeraj
07/08/26
नीरज अग्रवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर, जिला इंदौर (म0प्र0)